उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 38109–111 /वसूली/ 17–18 दिनांकः 03.05.2017

समस्त जनपद/मण्डल **पर्यवेक्षक,**
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय लखनऊ।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्रांक–सी–06/वसूली/17–18 दिनांक 12.04.17 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा विशेष वसूली अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

माह अप्रैल में विभिन्न मण्डलों की वसूली समीक्षा बैठक के पश्चात् यह स्पष्ट हुआ है कि अभी तक शाखाओं द्वारा चालू मांग की वसूली हेतु ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं और न ही एक लाख से बड़े बकायेदार, शून्य वसूली वाले बकायेदार तथा बन्धकग्रस्त भूमि की बिक्री कर दिये जाने वाले बकायेदारों के विरूद्ध कोई प्रभावी रणनीति बनाकर वसूली की कार्यवाही की गयी है। जिसका परिणाम यह है कि वर्तमान समय में बैंक की वसूली आलोच्य अवधि में गतवर्ष के सापेक्ष लगभग रू0 **207.00** करोड़ से पीछे है।

प्रश्नगत प्रकरण में आपका ध्यान मुख्यालय के आदेशांक 66561/स्था0/2016–17 दिनांक 21.01.17 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षकों को क्षेत्र भ्रमण कर वसूली में गति लाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह भ्रमण की तिथियों का निर्धारण किया गया था, परन्तु यह आभास होता है कि आपके स्तर पर उक्त भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार जनपदों/मण्डलों का भ्रमण नहीं किया जा रहा है यह स्थिति बैंक हित में उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक **08.05.17 से दिनांक 14.05.17** तक अपने आवंटित जनपदों/मण्डलों का भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत कराकर अनिवार्य रूप से भ्रमण पर चले जाये और वसूली अभियान को नेतृत्व प्रदान करने के साथ–साथ उसमें गति लायें। भ्रमण के समय मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जायः–

1–शाखावार चालू मांग की शतप्रतिशत वसूली कराई जाय।

2–रूपये एक लाख से बड़े बकायेदारों से प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियान चलाते हुए उनसे वसूली सुनिश्चित कराई जाय। इस हेतु

यथावश्यक सम्बन्धित जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से सम्पर्क स्थापित किया जाय।

3–जिन शाखाओं में अमीनों की समस्या हो, उनका निराकरण सम्बन्धित जिले के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता से सम्पर्क स्थापित किया जाय और यदि आवश्यक हो, तो मुख्य महाप्रबन्धक/अधोहस्ताक्षरी से भी उक्त अधिकारियों से वार्ता कराई जाय।

4–जिन खातों में ऋण वितरण के पश्चात् वसूली शून्य है, उनसे सम्बन्धित बड़े बकायेदारों से भ्रमण के समय आप व्यक्तिगत सम्पर्क करें और उनसे भी वसूली सुनिश्चित करायें।

5–ऐसे बकायेदार जिन्होंने बन्धकग्रस्त भूमि बेच दी है, यथा सम्भव उन बकायेदारों व क्रेता से व्यक्तिगत सम्पर्क कर लें और उनसे वसूली कराना सुनिश्चित करायें। शाखा स्तर पर इसकी भी समीक्षा कर लें कि यदि क्रेता–बिक्रेता के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही समीचीन हो, तो उसे भी पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिन शाखाओं द्वारा रूचि न ली जाय, उनके विरूद्ध कार्यवाही का समुचित प्रस्ताव भी मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

दिनांक **15.05.17** को सायंकाल **04:00** बजे से मुख्यालय पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उक्त बिन्दुओं की समीक्षा की जायेगी, तद्नुसार पूर्ण तैयारी के साथ उक्त बैठक में प्रतिभाग करें।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

ह0/–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2– उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ह0/–
(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0/वसूली)